COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 10रु.

(1)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर भोपाल संभाग भोपाल

निगरानी 542-PBR-15

प्रकरण कमांक –

वीरभान पुत्र मन्नुलाल आयु लगभग 60 वर्ष
निवासी व कृषक – ग्राम हर्रई तह0 गौहरगंज जिला रायसेन रीविजनकर्ता/आवेदक

विरूद्व

01. लालाराम पुत्र स्व0 श्री मन्नुलाल आयु वयस्क,
निवासी – ग्राम हर्रई तह0 गौहरगंज जिला रायसेन
02. शासन

उत्तरार्थी/अनावेदक

श्री आर. के. जैन अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 11.3.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
G... ...3.15

श्रीविजन अर्न्तगत धारा – 50 सहपठित धारा 48 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959

रीविजनकर्ता/आवेदक द्वारा उक्त रीविजन राजस्व निरीक्षक औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन प0 ह0 नं. 06 द्वारा सीमांकन प्रकरण कं 03/रा0 नि0/2/2014–15 में सीमाकंन पंचनामा 29. 06. 14. प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक अस्पष्ठ के विरूद्व व्यथित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न ठोस तथ्यो एवं सुदृड वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग. 542 –पीबीआर/15 जिला – रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.5.2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी सीमांकन पंचनामा दिनांक 29.6.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.3.2015 को लगभग 6 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में जानकारी का दिनांक एवं श्रोत नहीं दर्शाया गया है । अतः विलम्ब का कारण समाधान कारक नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से सीमांकन पंचनामा के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा अभी सीमांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः आवेदक को तहसीलदार के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य एवं प्री–मेच्योर होने से अग्राह्य की हाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	